न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.

लक्षपति प्रसाद उम्र 79 वर्ष तनय स्व. रामकिशोर पाण्डेय (ब्रा) निवासी ग्राम चौंडियार तह. गुढ जिला रीवा म.प्र.

.....आवेदक / प्रार्थी

विरूद्ध

रामपति प्रसाद उम्र करीब 72 वर्ष तनय स्व. रामकिशोर पाण्डेय (ब्रा) निवासी ग्राम चौंडियार तह. गुढ जिला रीवा म.प्र.

.....अनावेदक / अपीलार्थी

निगरानी आवेदन पत्र विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधि. तह.गुढ दिनांक 20/08/2015 ई. जो कि प्रथम अपील प्र.क्र. 365/अ–27/2013–2014 में पारित किया गया है और जिसके द्वारा अना. का आवेदन पत्र अर्न्तगत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार किया गया है अर्न्तगत धारा 50

म.प्र. भू. रा. सहिता सन 1959 ई.

मान्यवर,

आवेदक द्वारा नीचे लिखे अनुसार निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है :–

1. यह कि आदेश निद्धान अनुविभागीय अधिकारी तह. गुढ दिनांक 20/08/2015 ई विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत एवं मनमाना है। और निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 20/08/2015 ई. प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3016–दो/2015 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-4-2017	उभय पक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी गुढ़ जिला रीवा के प्रकरण कमांक 365/अ–27/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 20–8–2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अभिभाषक का मुख्य रूप से तर्क है कि सहमति के आधार पर पारित आदेश के विरूद्ध अपील ग्राह्य नहीं की जा सकती एवं अनुविभागीय अधिकारी ने समयबाधित अपील को समय–सीमा में मानने में त्रुटि की है। अनावेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क किया कि अनावेदक के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर बटवारा आदेश पारित करा लिया है जिसमें अनावेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था इसलिए जानकारी के दिनांक से प्रस्तुत अपील को समय–सीमा में मानकर ग्राह्य करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। 3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन किया। अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाकर उचित माना है इसी कारण अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को समय–सीमा में स्वीकार किया है। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण हेतु अंतिम के लिए नियत किया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अदेश में कोई अवैधानिक प्रकट नहीं	

होती है। उभय पक्ष को अधीनस्थ न्यायलय में पक्ष समर्थन पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी आधारीन होने से निरस्त की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 20–8–15 यथावत रखा जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य